

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VI/

Dated the _____ 2015

NOTIFICATION

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16 .- In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 6 of the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No.8 of 1997) and in supersession of this Government's notification F.12/(3)/(T&E)/2008-09/JS-FIN/338 dated the 17th July, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies that the rate of entertainment tax on payment for admission in respect of all cinematographic exhibition of films in the National Capital Territory of Delhi, shall be forty percent. The notification shall come into force with effect from 20th July, 2015.

By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VI/ 591

Dated the 15/7/ 2015

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi
5. The Addl. Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. Web site.
7. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
 वित्त (राजस्व-I) विभाग
 दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-02.

सं.फा. 12 (3) / वित्त (राजस्व-1) / 2015-16 / डीएसएफ-VI/
 अधिसूचना

दिनांक :

सं.फा. 12 (3) / वित्त (राजस्व-1) / 2015-16 / — दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं0 08) की धारा 06 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 17 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं0फा0 12 /((03)/(टी एंड ई) 2008-09 / जे.एस.-वित्त/338 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाये जाने के लिये की गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फिल्मों के समस्त सिनेमाआटोग्राफिक प्रदर्शन सरकार एवं द्वारा अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिसूचना 20 जुलाई, 2015 से के संबंध में प्रवेश के लिये भुगतान पर मनोरंजन कर की दर चालीस प्रतिशत होगी। यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2015 से प्रभावी होगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)
 उप- सचिव -VI (वित्त)

सं.फा. 12 (3) / वित्त (राजस्व-1) / 2015-16 / डीएसएफ-VI / 56/

दिनांक : 15/7/15

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारितः—

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन-ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वेबसाइट।
7. गार्ड फाइल।

25
 (रविन्द्र कुमार)
 उप- सचिव -VI (वित्त)